

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-27/2016/500/चि0-3-16-एच-26/2013,

लखनऊ : दिनांक : 26 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-29/2015/343/चि0-3-15-एच-26/2013, दिनांक 22-04-2015 के क्रमांक-1 पर अंकित डा0 राजेश कुमार द्विवेदी, चिकित्साधिकारी (वरिष्ठता क्रमांक-13267, लेबल-2), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घुघुली महाराजगंज के जिला कारागार चिकित्सालय, महाराजगंज में किये गये स्थानान्तरण को एतद्वारा निरस्त करते हुए पुनः मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज के अधीन तैनात किया जाता है।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-04-2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

विनोद कुमार सिंह

संयुक्त सचिव


संख्या-27/2016/500 (1)/चि0-3-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

4. मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज । अधीक्षक, जिला कारागार, महाराजगंज
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, महाराजगंज ।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज)।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी0-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8
- ✓ 10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-28/2016/22A /चि0-3-16-टी-1(205)टी0सी0-VI,

लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-78/2015/1595/चि0-3-15-टी-1(205)/2015, दिनांक 30-06-2015 के क्रमांक-52 पर अंकित डा0 सुमन सिरोही, बालरोग विशेषज्ञ, (वरिष्ठता क्रमांक-9213, लेवल-3), जिला महिला चिकित्सालय मेरठ के जिला महिला चिकित्सालय, बिजनौर में किये गये स्थानान्तरण/समायोजन को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-06-2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

विनोद कुमार सिंह

संयुक्त सचिव


संख्या-28/2016/22A (1)/चि0-3-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ/मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।

4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय मेरठ/बिजनौर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ/बिजनौर ।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय मेरठ/बिजनौर)।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी0-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या- 29/2016/309 /चि0-3-16-टी0-1(316)/2015
लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-269/2015/2714/चि0-3-15-टी0-1(316)/2015, दिनांक 30-12-2015 (क्रमांक-3) द्वारा डा0 अरूण कुमार तिवारी, बालरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11222, लेवल-3), जिला चिकित्सालय, औरैया का जनहित में 100शैययायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, औरैया में बालरोग विशेषज्ञ के पद पर किये गये स्थानान्तरण को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।


विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-29/2016/309 (1)/चि0-3-16.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, औरैया/100शैययायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, औरैया।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, औरैया।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100शैययायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, औरैया।)
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

✓

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या- 30/2016/310 /चि0-3-16-टी0-1(14)/2016

लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2016

कार्यालय जाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 सुनील कुमार, नेत्ररोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-12006क, लेवल-2), बलरामपुर जिला चिकित्सालय, लखनऊ को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए जिला संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर में नेत्ररोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 सुनील कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह

संयुक्त सचिव

संख्या- 30/2016/310 (1)/चि0-3-16.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर जिला चिकित्सालय, जनपद लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/बलरामपुर।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर जिला चिकित्सालय, जनपद लखनऊ)
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अवधेश कुमार खरे)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।